न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालील में जारी हुए
	मु.नं. 34/2022	

02.2024

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील प्रतिवादीगण ने एक एतराज प्रार्थना पत्र बाबत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.09.2023 का पेश किया। जिसकी नकल वकील वादी को दिलाई जाकर एतराज प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण मे वकील वादी जवाब आपत्ति प्रार्थना पत्र हेतु अवसर चाहते है। अवसर दिया जाता है। वास्ते पेश होने जवाब एतराज प्रार्थना पत्र पत्रावली दिनांक 05.02.2024 को पेश हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

05.02.2024

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र बाबत एतराज विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.09.2023 का पेश किया। जिसकी नकल वकील प्रतिवादी को दिलाई जाकर जवाब एतराज प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में वकील वादी ने आपत्ति प्रार्थना पत्र व मूल वादपत्र पर आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादी ने बहस सुनी जाने हेतु सहमति जाहिर की। वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस दरख्वास्त आपत्ति प्रार्थना पत्र विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.09.2023 पर सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश आपत्ति प्रार्थना पत्र विभाजन प्रस्ताव व मूल वादपत्र पत्रावली दिनांक 09.02.2024 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.22 11:24:25 IST
Reason: SelfAttested

09.02.2024

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश आपत्ति प्रार्थना पत्र विभाजन प्रस्ताव व मूल वादपत्र हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रार्थना पत्र एतराज प्रारम्भिक डिक्री पर बहस

—लगातार—

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहीव ब्राह्मण अन्ति. वरी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	दावा मु.नं.-94/2022

वकुलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र बाबत विभाजन प्रस्ताव को न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है। जिसका निर्णय आपत्ति प्रार्थना पत्र बाबत एतराज विभाजन प्रस्ताव का विस्तृत निर्णय मूल वादपत्र के निर्णय में लिखा जा चुका है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 2315/भू.अ./23 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.22 11:24:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
94/2022	2022/232	25.07.2022	09.02.2024 (अंतिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1–सहदेवसिंह उम्र 57 साल पुत्र रिछपालसिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नम्बर–8 ढ़ाणी पटवारियां वाली करबा श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

––वादी

बनाम्

1–अमित पुत्र विनोद उम्र 22 साल जाति माली निवासी ढ़ाणी बिज्यावाली वार्ड नम्बर– 11 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

2–कमला देवी पत्नी औंकारमल उम्र 60 साल जाति माली निवासी वार्ड नम्बर–8 ढ़ाणी पटवारियां वाली करबा श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

3–कृष्णा देवी पुत्री चतुरसैन उम्र 55 साल

4–जय पुत्र विनोद उम्र 20 साल

5–नीतू पुत्री विनोद उम्र 23 साल

6–प्रेमलता पत्नी विनोद उम्र 50 साल

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.22 11:24:25 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

जाति माली निवासी ढ़ाणी बिज्यावाली वार्ड नम्बर–11 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

7–बनवारीलाल उम्र 53 साल

8–रमेश उम्र 66 साल

9–शिवदीन उम्र 48 साल

10–सुनिल उम्र 46 साल

11–सुरेश कुमार उम्र 45 साल

पुत्रगण चतुरसैन

12–श्रवणी देवी पुत्री चतुरसैन उम्र 50 साल

13–बनारसी देवी पत्नी बाबुलाल उम्र 51 साल

14–संतोष देवी पत्नी सीताराम उम्र 50 साल

15–सरस्वती देवी पत्नी पूरणमल उम्र 67 साल

जाति माली निवासी ढ़ाणी बिज्यावाली वार्ड नम्बर–11 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

16–प्रहलादसिंह उम्र 68 साल

17–जमनसिंह उम्र 65 साल

18–सायरसिंह उम्र 55 साल

19–उम्मेदसिंह उम्र 58 साल

पुत्रगण रिछपालसिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.22 11:24:25 IST
Reason: SelfAttested

09/02/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

जाति राजपूत निवासी वार्ड नम्बर–8 ढाणी पटवारियां वाली कस्बा श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

20–भंवरसिंह पुत्र बदनसिंह उम्र 70 साल जाति राजपूत निवासी तहसील के सामने श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

21–उप पंजियक श्रीमाधोपुर।

22–पटवारी हल्का श्रीमाधोपुर।

23–भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

24–मैनेजर सैंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा श्रीमाधोपुर।

25–देवीलाल जाट पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट, निवासी नांगल कंला, तहसील चौमू जिला जयपुर राज0

––प्रतिवादीगण–

उपस्थितः–

श्री दिलीप कुमार मंगावा, एड0 वादी अभिभाषक।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, एड0 प्रतिवादी संख्या 1, 4 से 11 की ओर से।

श्री हिमांशु शर्मा, एड0 प्रतिवादी संख्या 25 की ओर से।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 23 की ओर से

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.22 11:24:25 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

09/02/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2187, 2210, 2212, 2213, 2214, 2219, 2220 कुल किता–7 कुल रक्बा 4.5900 हैक्टर तन ग्राम श्रीमाधोपुर, पटवार हल्का श्रीमाधोपुर, भू. अभि. नि. श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में स्थित होकर वादी हिस्सा 433/9180 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं बाकी हिस्सा के खातेदार काश्तकार जमाबंदी में दर्ज हिस्सानुसार प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 20 है। उक्त कृषि भूमि पक्षकारान वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 20 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमियां है। जिसका अभी तक विधिक तकास्मा नही हुआ है एवं वादी अपनी हक हिस्सा एवं खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि पर मौके पर पूर्णत काबिज काश्त चला आ रहा है एवं पुक्ता मकानात बनाकर आवास निवास कर रहा है एवं पशुधन मवेशियान रखता है एवं परिवार सहित आबाद है एवं भूमियों मे पक्षकारान का शामलाती आवागमन का रास्ता मुख्य सड़क से चला आ रहा है। जिसके लोहे का गेट लगा रखा है, जिसका पक्षकारान शामलाती उपयोग उपभोग करते आ रहे है एवं आवागमन करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 20 ने मिलकर आपस में एक नाजायज गिरोह बना रखा है जो उक्त कृषि भूमियों को बिना विधिक तकास्मा करवाये दिगर भू–माफिया गिरोह के लोगो को बेचान रहन अन्तरण कर दिगर का बलात कब्जा मनमर्जी से मनचाही जगह पर करवाने पर उतारू है तथा वादी को उसकी हक हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करने पर उतारू है तथा भूमि को बिना भू–रूपान्तरण करवाये, कृषि से अकृषि में परिवर्तन करने एवं मनमर्जी से मनचाही जगह पर निर्माण करने एवं [illegible] करने पर उतारू है एवं शामलाती आवागमन के रास्ता को खुर्द बुर्द [illegible] उतारू है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार किसी किश्म [illegible] वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है एवं [illegible] का विधिक विभाजन करवाने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.22 11:24:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Pathak 29/02/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

अधिकारी है। प्रतिवादीगण ने वादी को दिनांक 10–07–2022 को धमकी दी कि भूमि को बिना विधिक तकास्मा कराये दिगर भू–माफिया गिरोह के लोगो को बेचान रहन अन्तरण कर दिगर का बलात कब्जा मनमर्जी से मनचाही जगह पर करवाकर रहेगे तथा वादी को उसकी हक हिस्सा खातेदारी व कब्जा काष्त की भूमि से बेदखल करवाकर रहेगे तथा कृषि भूमि को बिना भू–रूपान्तरण करवाये कृषि से अकृषि में परिवर्तन करके रहेगे एवं मनमर्जी से मनचाही जगह पर निर्माण करके भूमि को खुर्द बुर्द करेगें एवं शामलाती रास्ता को खुर्द बुर्द करके वादी को आवागमन से महरूम करके रहेगे। इसलिए माननीय अदालत में बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः वाद पत्र वादी प्रस्तुत कर वादी का वाद पत्र विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया कि:– कृषि भूमि खसरा नम्बर 2187, 2210, 2212, 2213, 2214, 2219, 2220 कुल किता–7 कुल रक्बा 4.5900 हैक्टर तन ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) का पक्षकारान वादी व प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 20 के मध्य विधिक तकास्मा बाई मीटस एण्ड बाउन्डस करवाया जाकर वादी को उसकी हक हिस्सा एवं खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का अलग से खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर अलग से लगान कायम किया जावे एवं भूमियों में नौके पर चले आ रहे आवागमन के शामलाती रास्ता को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्ज करवाये जाने तथा प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 20 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादग्रस्त कृषि भूमि को बिना विधिक तकास्मा कराये दिगर को विक्रय रहन अन्तरण नही करे, ना ही दिगर का मनमर्जी से मनचाही जगह पर बलात कब्जा नही करवाये, ना ही कृषि भूमि को बिना भू–रूपान्तरण करवाये कृषि से अकृषि में परिवर्तन करे ना ही अवैध निर्माण करे, ना ही भूमि को खुर्द बुर्द करे, ना ही शामलाती आवागमन के रास्ता को खुर्द बुर्द करे, ना ही वादी को उसकी हक हिस्सा खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करे। वादी ने विधिक विभाजन की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण [illegible] करने के लिए यह वादपत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.22 11:24:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 24 की सम्मन तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाई गई। प्रतिवादी संख्या– 1, 4 से 11 की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा एड0 उपस्थित आये एवं जवाब दावा पेश करने हेतु अवसर चाहे जाने पर बाद में जवाब दावा पेश किया गया। श्री हिमांशु शर्मा एड0 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश कर स्वीकार होने पर आवेदक को प्रतिवादी संख्या– 25 प्रतिस्थापित किया गया। वकील प्रतिवादी संख्या 25 की ओर से जवाब दावा मय कोस दावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या– 2, 3, 12 ता 15, 17 ता 24 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाए जाने के बावजूद तामिल के हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वकील वादी ने प्रकरण के तकास्मा से सम्बन्धित होने से पक्षकारान् के मौके पर कब्जे काश्त एंव विधिक हिस्सेनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने तथा प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने बाबत् निवेदन किया गया। वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण के निवेदन पर प्रकरण में विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मॅगवाये जाने हेतु न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिकी दिनांक 17.07.2023 को जारी की गई थी।

प्रकरण में प्रारम्भिक डिकी दिनांक 17.07.2023 को जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/प–51/2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिकी जारी की जाकर जरिये पत्रांक 4586/रीडर/2023 दिनांक 11.12.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुरेंजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई थी। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.22 11:24:25 IST
Reason: SelfAttested

09/02/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के जरिये पत्रांक 2315/भू.अ./2023 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा प्राप्त हुये। जो शामिल पत्रावली किये गये।

प्रकरण में विधिक विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो जाने पर प्राप्त विधिक विभाजन से सहमत होते हुए वकील वादी ने प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण ने एक आपत्ति प्रार्थना पत्र बाबत विभाजन बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति पेश करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत दावा उनवानी सहदेव सिंह वगैरह बनाम अमित वगैरह मुकदमा संख्या 94/2022 में प्रतिवादीगण द्वारा वर्तमान कब्जे काश्त के आधार पर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने के लिये सहमति दिये जाने पर न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर को दिनांक 01.08.2023 को विभाजन प्रस्ताव मंगवाने के लिये आदेश जारी किये गये। प्रतिवादीगण को आदेश की पालना बाबत दिनांक 25.08.2023 के लिये दिनांक 03.08.2023 को एक तामील जारी की गई। जो प्रतिवादीगण को नियत तिथि से 2 दिन पूर्व प्राप्त हुई। नियत तिथि को प्रतिवादीगण पूरे समय मौके पर उपस्थित रहे परन्तु उस दिन कोई भी राजस्व अधिकारी या कर्मचारी मौके पर उपस्थित नहीं हुआ। उसके बाद कभी भी कोई सूचना तहसीलदार द्वारा प्रतिवादीगण को इस संबंध में नही दी गई। इसके बाद यह विभाजन प्रस्ताव की रिपोर्ट कब तैयार की गई और किसकी उपस्थिति में तैयार की गई। इसकी सूचना प्रतिवादीगण को नहीं दी गई एवं तथाकथित दिनांक 27.09.2023 को रिपोर्ट तैयार करने, दिनांक 27.12.2023 को रिपोर्ट तहसीलदार कार्यालय से डिस्पेच करने एवं न्यायालय में दिनांक 28.12.2023 को रिपोर्ट प्राप्त होने के तथ्य रिकार्ड पर मौजूद है। जिसकी नकल प्रतिवादीगण ने लेने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो दिनांक 01.02.2024 को प्राप्त हुई हैं। इस रिपोर्ट में एक रास्ता नजरी नक्शा में निकालने बाबत लाल स्याही का अंकन किया गया है। [illegible] रास्ता कभी मौजूद ही नहीं था, ना ही आज है। वास्तविकता [illegible] खेत में अपनी कृषि भूमि में पहुचंने के लिये वैकल्पिक रास्ते [illegible] हैं। वे उसी से आवागमन करते हैं। प्रस्तावित रिपोर्ट में जो तथाकथित रास्ता दिखा[illegible] गया है और रिपोर्ट में उसका रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.22 11:24:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

09/02/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दिखाया गया है वह अलग अलग है। प्रतिवादी के कब्जे काश्त से गैरमुमकिन रास्ते के संबंध जो जमीन कम की गई है, उसकी पूर्ति के संवंध में रिपोर्ट में कोई वर्णन नहीं हैं। दावा हाजा में आवागमन बाबत कोई रास्ते की इस्तदुआ ही नहीं है, तो रिपोर्ट में तथ्यों से परे हटकर तथाकथित रांस्ता काटने का उल्लेख करना कानूनन गलत है। प्रार्थना पत्र बाबत एतराज प्रस्ताव विभाजन प्रपत्र प्रारम्भिक डिक्री प्रस्तुत कर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा दिनांक 27.09.2023 को खारिज फरमाया जाकर पुनः रिपोर्ट मंगवाये जाने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एतराज आपत्ति में किया है।

वही दौराने बहस वकील वादी ने जवाब एतराज प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री जारी किया जाना एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु आदेश जारी किया जाना स्वीकार हैं। वकील प्रतिवादीगण मय पक्षकारान को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत सूचना दी जाने से ऐतराज आधारहीन होकर खारिज होने योग्य हैं। विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट मौके पर सभी पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार की गई थी। वादी के हिस्से की भूमि में से ही रास्ते की भूमि का रकबा कम किया गया है कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है रास्ते को मौके पर बंद कर दिया गया है। विभाजन प्रस्ताव में बंटवारा करते हुये बंटवारे के दावें में रास्ता निकालते हुये बंटवारा किये जाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया हैं। ऐसी स्थिति में वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति बाबत विभाजन प्रस्ताव को खारिज की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

हमने प्रार्थना पत्र आपत्ति पर वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस ध्यानपूर्वक सुनी व प[illegible] विधिक विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। वकुलाय उभय पक्ष[illegible] बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से स्[illegible] श्रीमाधोपुर के द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व वकुलाय उभय पक्ष[illegible]रान को नोटिस जारी किए जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.22 11:24:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

03/02/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

वकुलाय उभय पक्षकारान की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार की जाना प्रकट होता है। यदि वकील प्रतिवादीगण मय पक्षकारान को कोई एतराज होता तो वह मौके पर रिपोर्ट तैयार करते समय एतराज प्रकट कर सकते थे। मौके पर रास्ता दिखाया गया है, उस रास्ते की भूमि का रकबा वादी की भूमि में से ही कम किया जाना प्रकट होता है। भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा मौका निरीक्षण करते हुए बहमराह पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक के साथ मौका देखा जाकर मौतबिरान की उपस्थिति में मौका निरीक्षण अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव बनाया जाना प्रकट होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा मौका निरीक्षण कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय प्रतिवादी स्वंय असालतन या वकालतन उपस्थित होकर चाराजोही कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता था। जबकि तहसीलदार द्वारा किये गये मौका निरीक्षण के दौरान प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा के अवलोकन से वादी व प्रतिवादीगण को खसरा नम्बर 2187/1 में रकबा 0.07 हैक्टर में गै0 मु0 रास्ता दर्ज करते हुए हिस्सानुसार जमीनें दिया जाना प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र बाबत विभाजन प्रस्ताव को न्यायहित में स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति बाबत विभाजन प्रस्ताव खारीज हो जाने से प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत तकास्मा एंव स्थायी निषेधाज्ञा को न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु वकील प्रतिवादीगण ने जवाब आपत्ति प्रार्थना पत्र में में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार करते हुए वादपत्र में अंतिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित में उचित समझता हूँ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.22 11:24:25 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत तकारस्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार पत्रांक क्रमांक /भू.अ./23/2315 दिनांक 27.12.2023 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:—

जमाबंदी के अनुसार खाते का विभाजन प्रस्ताव :—

खाता संख्या	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
360	1. अमित पुत्र विनोद जाति माली हिस्सा 1/128 सा. देह 2. उम्मेदसिंह पुत्र रिछपालसिंह जाति राजपूत हिस्सा 31/9180 सा.देह 3. कमलादेवी पत्नि औंकारमल जाति माली हिस्सा 1/6 सा. देह 4. कृष्णादेवी पुत्री चतुरसेन जाति माली हिस्सा 1/32 सा. देह 5. जमनसिंह पुत्र रिछपालसिंह	2187 2210 2212 2213 2214 2219 ढाणी 2220	1.45 1.11 0.03 0.03 0.61 0.02 1.34	जाव 3, 0.95 बारानी–1 0.50 जाव 3 जाव 3 जाव 3 जाव 3 जाव 3	35.89

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.22 11:24:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

09/02/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

	जाति राजपूत हिस्सा 1/27 सा. देह 6. जय पुत्र विनोद जाति माली हिस्सा 1/128 सा. देह 7. नीतू पुत्री विनोद जाति माली हिस्सा 1/128 8. प्रेमलतादेवी पत्नि विनोद जाति माली हिस्सा 1/128 सा. देह 9. प्रहलादसिंह पुत्र रिछपालसिंह जाति राजपुत हिस्सा 1/27 सा. देह 10. बनवारीलाल पुत्र चतुरसेन जाति माली हिससा 1/32 सा. देह 11. बनारसीलाल पुत्र चतुरसेन जाति माली हिस्सा 1/6 सा. देह 12. भंवरसिंह पुत्र बदनसिंह जाति राजपुत हिस्सा 22/459 सा. देह 13. रमेश पुत्र चतुरसेन जाति माली हिस्सा 1/32 सा. देह 14. श्रवणीदेवी पुत्री चतुरसेन जाति माली हिस्सा 1/32 सा. देह 15. शिवदीन पुत्र चतुरसेन				

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.22 11:24:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

09/02/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

	माली हिस्सा 1/32 सा. देह 16. सन्तोष देवी पत्नि सीताराम जाति माली हिस्सा 1/6 सा. देह 17. सुनिल पुत्र चतुरसेन जाति माली हिससा 1/32 सा. देह 18. सुरेशकुमार पुत्र चतुरसेन जाति माली हिस्सा 1/32 सा. देह 19. सरस्वति पत्नि पूरणमल जाति माली हिस्सा 371/9180 सा. देह 20. सहदेवसिंह पुत्र रिछपालसिंह जाति राजपुत हिस्सा 433/9180 सा. देह राहिन हिस्सा 433/9180(पूर्ण खाता) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा श्रीमाधोपुर 21. सायरसिंह पुत्र रिछपालसिंह जाति राजपुत हिस्सा 1/27 सा. देह				
	योग खाता	[illegible]	4.59		4.49

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.22 11:24:25 IST
Reason: SelfAttested

09/02/24

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

मौके के अनुसार खाते का विभाजन प्रस्ताव :–

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव					
खाता संख्या	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टरमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1.	1. उम्मेदसिंह पुत्र रिछपालसिंह जाति राजपूत हिस्सा 31/2295 सा. देह 2. जमनसिंह पुत्र रिछपालसिंह जाति राजपूत हिस्सा 4/27 सा. देह 3. प्रहलादसिंह पुत्र रिछपालसिंह जाति राजपूत हिस्सा 4/27 सा. देह 4. भंवरसिंह पुत्र बदनसिंह जाति राजपूत हिस्सा 88/459 सा. देह 5. सरस्वति पत्नि पूरणमल जाति माली हिस्सा 371/2295 सा. देह 6. सहदेवसिंह पुत्र रिछपालसिंह जाति राजपूत हिस्सा 433/2295 (पूर्ण खाता) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा श्रीमाधोपुर 7. सायरसिंह पुत्र रिछपालसिंह जाति राजपूत हिस्सा 4/27 सा. देह	2210/1 2212 2187/1	1.0475 0.03 0.07	जाव 3 जाव 3 गै.मु.रास्ता	नियमानुसार
		किता–3	1.1475	जाव 3 1.0875 गै.मु.रास्ता 0.06	
2.	1. अमित पुत्र विनोद जाति माली हिस्सा 1/96 सा. देह 2. कमलादेवी पत्नि औंकारमल जाति माली हिस्सा [illegible]	2187/2 [illegible]	1.39 0.0525 0.03	जाव 3 0.95 बारानी–1 0.44 जाव 3 जाव 3	नियमानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.22 11:24:25 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

	देह				
	3. कृष्णादेवी पुत्री चतुरसेन जाति माली हिस्सा 1/24 सा. देह	2214 2219 ढाणी 2220	0.61 0.02 1.34	जाव 3 जाव 3 जाव 3	
	4. जय पुत्र विनोद जाति माली हिस्सा 1/96 सा. देह				
	5. नीतू पुत्री विनोद जाति माली हिस्सा 1/96 सा. देह				
	6. प्रेमलतादेवी पत्नि विनोद जाति माली हिस्सा 1/96 सा. देह				
	7. बनवारीलाल पुत्र चतुरसेन जाति माली हिस्सा 1/24 सा. देह				
	8. बनारसीदेवी पत्नि बाबूलाल जाति माली हिस्सा 2/9 सा. देह				
	9. रमेश पुत्र चतुरसेन जाति माली हिस्सा 1/24 सा. देह				
	10. श्रवणीदेवी पुत्री चतुरसेन जाति माली हिस्सा 1/24 सा. देह				
	11. शिवदीन पुत्र चतुरसेन जाति माली हिस्सा 1/24 सा. देह				
	12. सन्तोषदेवी पत्नि सीताराम जाति माली हिस्सा 2/9 सा. देह				
	13. सुनिल पुत्र चतुरसेन जाति				

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.22 11:24:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

09/02/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

	गाली हिस्सा 1/24 सा. देह 14. सुरेशकुमार पुत्र चतुरसेन जाति गाली हिस्सा 1/24 सा. देह				
		किता 6	3.4425	जाव 3 3.0025 बारानी–1 0.44	

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक क्रमांक /भू.अ./23/2315 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 09.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.22 11:24:25 IST
Reason: SelfAttested